न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 84/2017 राजस्व अपील

1. मुरारी
2. शंकर

पि. लल्लू जाति गुर्जर निवासी ग्राम टोरडा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा

अपीलान्ट्स

बनाम

1.सहायक वन संरक्षक जिला दौसा
2. क्षेत्रिय वन अधिकारी लालसोट जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय अन्तर्गत धारा 91 रा. भू. अधि. 1956 दिनांक 27.07.2017 जो अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा द्वारा बउनवानी प्रकरण सरकार बनाम मुरारी मु.न. 01/2017 में पारित किया गया है।

उपस्थिति : श्री पं0 रामबाबू शर्मा अपीलान्ट्स उप0।
: राजकीय अधिवक्ता उप0।

–: निर्णय :–

दिनांकः 29.05.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि ख.न. 363 रकबा 109 बीघा 5 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम टोरडा पटवार हल्का सलेमपुरा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा में स्थित भूमि राजस्व रिकार्ड में वन विभाग के नाम खातेदारी अंकित है। इसी भूमि से लगती हुई ख.न. 347 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा, ख.न. 516/346 रकबा 3 बीघा भूमि जो अपीलान्ट्स के पिता लल्लू प्रसाद पुत्र फैलीराम तथा माता गैंदी देवी पत्नि लल्लू प्रसाद कौम गुर्जर के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। ख.न. 363 वन भूमि एवं ख.न. 347 एवं 346 आपस मे दोनो लगती हुई भूमियां है। मौके पर वन भूमि एवं प्रार्थीगण के पिता की खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान नही होने कारण यह तय नही किया जा सकता कि अपीलान्ट्स द्वारा खैल, टंकी, झोपडी आदि वन विभाग की जमीन पर या स्वयं की जमीन पर बनाये गये है। अपीलान्ट्स द्वारा ग्राम टोरडा, इन्दावा डूंगर संख्या 8 पर अनाधिकृत कब्जा मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स अतिक्रमी को अतिक्रमित

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आराजी से बेदखल किये जाने एवं 5000 रु शास्ति कायम करने के साथ ही 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से भी दिनांक 27.07.2017 को दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 27.07.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट्स द्वारा निर्मित खैल, टंकी व झोपडी ख.न. 346 व 347 पर है न की वन विभाग की भूमि पर। अपीलान्ट्स ने सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को कोई सुनवाई व सबूत का मौका नही दिया ना ही अपीलान्ट्स के समक्ष भूमि का मौका देखा ना मौका रिपोर्ट बनाई। अपीलान्ट्स पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी साबित नहीं है। अपीलान्ट्स की ओर से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं होने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया जावेगा। अतः अपील स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय खारिज फरमाया जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट्स अतिक्रमी द्वारा ग्राम टोरडा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा स्थित वन भूमि खसरा नंबर 363 रकबा 01 है0 वन खण्ड टोरडा इन्दावा डूं. संख्या 08 पर सरसो, लोकी की काश्त कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट्स अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनिययम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 27.07.2017 के द्वारा अपीलान्ट्स अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करने एवं 5000 रु शास्ति कायम करने के साथ ही 60 दिन का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है, किन्तु अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया की अपीलान्ट्स का प्रश्नगत वन भूमि पर अतिक्रमण नही है तथा भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया जावेगा। अतः अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

अति0 जिला कलक्टर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि अपीलान्ट्स द्वारा ग्राम टोरडा तहसील रामगढ पचवारा में स्थित राजकीय वन भूमि खसरा नंबर 363 रकबा 01 है0 वन खण्ड टोरडा इन्दावा डूं. संख्या 08 पर से अतिक्रमण हटा लिया जाने एवं भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करने बाबत् शपथ पत्र सहायक वन संरक्षक दौसा के समक्ष प्रस्तुत करने एवं सहायक वन संरक्षक दौसा द्वारा अतिक्रमण हटा लिया जाना सत्यापित किया जाने पर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.07.2017 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 29.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official